

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं, 26]

नर्र विस्सी, समिवार, जुन 25 1994/ आचाद 4, 1916

No. 26]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 25, 1994/ASADHA 4, 1916

इ.स. भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की बाती है जिससे कि वह अक्रम संकालन के रूप में रचा वा सर्वे

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II-बाब ३-वर-बाबद्ध (I) PART II—Section 3—Sub-section (1)

भारत सरकार के मंत्रालयाँ (रक्षा मंत्रालय को खोड़ कर) और केन्द्रीय अधिकारियाँ (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासमाँ को छोड़ कर) द्वारा विधि के मन्तर्गत बनाए और बारों किये गये साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आवोत, उपनियम आवि सॉक्सॉलत प्रे.)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

विधि, त्याय और कम्पनी कार्य संज्ञालय

(कम्पनी काय विभाग)

नई दिस्सी, 8 मार्च, 1994

सा.का.नि. 295 .---राष्ट्रपति, संविधान के अनुन्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों या प्रगंग करते हुन करगनी विश्वि नी के समह 'ग' के पदों पर मतीं की पद्धित का बिनियमन करने के लिए निम्निनित निरम बनाने हैं प्रयान :--

- ा. संक्षिपनी नाम और प्रारम्भ:--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी विधि बीर्ड (समूह 'ग' पद) मत्रों नियम. 1993 है।
- (2) में राजप स में प्रकाशन की शारी व को प्रवृत्त होंगे।
- लाग होना :----ये नियम इन नियमों से उपाबढ़ अपुमुखी के स्तम्भ ! में विनिर्दिष्ट पत्री को लाग होते।
- पद संख्या, वर्गीकरण और वैतनमान .---उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उक्ति वेशवसान थे होते, जा हा विकास से उसाब झ **प्रान्ध्रणी** के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिश्ट हैं।
- 4. मर्ली की सक्कति, भाषु-सीमा और भन्य प्रहेनाएं —-चनन पदों पर धर्मी को पद्धति, श्राषु-वेति, प्रहेताएं और उनने संबक्षित भन्य क्षानें वे होंगी को पुर्वोक्स अनुसूची के स्तर्भ उसे स्तरभ 14 मे विनिदिग्ड है।

(955)

- 5. निरहंस :--अह व्यक्ति---
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसको पस्ती जी ३९ है, विश्वाह किया है, या
- (स्त) जिसके अध्यने पति का अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किमी व्यक्ति से क्रिया हिरा है,

1396 GI/94

Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the por of survey or for a period of grace where regulation I 14(a3 or I(14(f) applies.

This certificate shall, in accordance with regulation 1/14(e), 1/ 14(f) of the Convention, be accepted as valid until..... Certificate, to subject to the which the certificate is attached, remaining valid.

> Signed: Place :

(Seal or stamp)

[No. SR-11013/4/92-MA] O. P. MAHEY, Under Secy.

- Note:-The Principal rules published in the Gazette of India Part II Section 3(i) dated 4th May, 1968 at pages 967 to 985 vide Government Notification, Ministry of Transport & Shipping No. GSR 814 dated 11th April, 1968 and was subsequently amended by
 - (i) Government notification No. GSR 382, dated 1-3-1978 published in the Gazette of India Part II, Section 3(i) dated 18th March, 1978 at pages 594-597.
 - (ii) Government notification No. GSR 25 dated 26-12-1988 published in the Gazette of India Part I, Section 36) dated 14 1-89 at pages 90-109.

स्चना एवं प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 अयनुबर, 1993

सा.चा.नि. 304--मूल नियमावली के नियम 45 के प्रायधानों के अनसरण में, राष्ट्रपति एतदद्वाराश्राकाण-वाणी (फ्रावासीय क्यार्टस का मार्बटन) नियम 1983 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, जैसे :---

- 1. (1) ये नियम भ्राकाशवाणी (भ्रावासीय क्वार्टम का म्राबंटन) (संगोधित) नियम, 1993 फहलाये जायेंगे।
- (2) सरकारी राज्यात में प्रकाशित होने की तारीख से ये नियम लाग होंगे ।
- 2. एस. म्रर्ग. 317-XXVI/टी-2, ये श्राकाशवाणी (भ्रावासीय क्वार्टम का भ्राबंटन) नियम, 1983, में---
- (क) उपनियम (0) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाए, जैसे :-- 'ं
- "(o) "ग्रधिकारी" ग्रर्थात नियमित विभागीय कलाकार, कलाकार और सिविल निर्माण स्कंध में कार्य कर रहे स्टाफ और 'वर्क चार्ज/स्टाफ" सहित श्राकाशवाणी के स्टाफ का

बणर्ते कि सिविल निर्माण स्कंध में कार्यरत स्टाफ केवल सामान्य पुल से क्वार्ट्स के आवंटन हेतु पात होगा।

- (ख) उप-नियम (पी) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम जोधा जाए, यथा:---
- "(पी)(।) श्रधिकारी द्वारा पेंगन और ग्रेच्य्टि जैसे अंतिम लाभ लिये जाने पर भी प्राथमिकता की तारीख

निर्धारित करने के उद्देश्य हेत ग्रधिकारी द्वारा की गई पिछली सेंबाओं की भी गिना जाएंगा तथा प्राथमिकता की तारीख निर्धारित करने के लिए पिछली कूल सेवा में से मेवा में व्यवधान (ब्रेक) की श्रवधि घटा दी जाएगी।

(2) स्थान की पावता के निर्धारण के लिए अधिकारी के पनः रोजगार के भामले से, जिस पद पर अधिकारी है उसका (नोशंनल) वेतन और भूतपूर्व सैनिक द्वारा द्वा की गई रिजविस्ट पेंशन ध्यान में रखो जाएगी।"

> [एफ.सं. 16/6/92-ए एण्ड जी/बी(डी)] ब्राई.एल. भाटिया, ब्रथर मचिव

टिप्पर्णाः—-भारत सरकार, सचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ग्रधिसचना के तहत ंदिनांक 8-9-1984 के भाग-Ⅲ - 3 उप-म्बंड (i) संख्या जी. एस. ग्रार. दवारा मुख्य नियम प्रकाणित किए गए, जी.एस.म्रार. 57% दबारा संशोधित, दिनांक 25-6-87 की भारत के राजपन्न के भाग $-\Pi$ खंड 3 उप-खंड (i) के प्रकाणित, दिनांक 1-4-1991को भारत के राजपत्र में भाग $-\Pi$, श्रंड 3 उपखंड (i) में प्रधिस्चना 'संख्या जी.एस.धार. 229 प्रकाणित और दिनांक 21-12-1991 को भारत के राजपत्न के खंड ३ उप खंड (i) में म्राधिसचना संख्या जी.एस.म्रार 687 प्रकाणित ।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 18th October, 1993

- G.S.R. 304.—In pursuance of the provisions of rule 45 of the Fundamental Rules, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Allotment of Residential Quarters) Rules, 1983, namely:—
- 1. (i) These rules may be called All India Radio (Allotment of Residential Quarters) Amendment) Rules, 1993.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. The All India Radio Allotment of Residential Quarters Rules 1983, in S.R. 317-XXVI-T-2.
 - (a) for sub-rule (o), the following sub-rule shall be substituted, namely :--
 - "(o) "OFFICER" means a member of the staff of the All India Radio including regular Staff Artist / Artist and staff and work-charged staff working in the Civil Construction Wing;
 - Provided that the stuff working in the Civil Constructions Wing shall be eligible for allotment of quarters from General Pool only."
 - (b) For sub-rule (p), the following sub-rule shall be substituted, namely :--
 - "(p)(i) the past service rendered by an officer shall be counted for the purpose of determining the date of priority even if the officer has drawn treminal benefits like pension and gratuity and periods of break in service shall be deducted from the total of the past service for determining the date of priority.
 - (ii) in the case of re-employment of an officer. the notional pay of the post in which an officer is reemployed and in the case of a reservist pension

drawn by ex-serviceman shall be taken into account for determination of entitlement of accommodation."

[F. No. 16/6/92-A&G/B(D)] I. L. BHATIA, Under Secy.

NOTE: Principal rules were published under the notification of the Government of India of the Ministry of

Information & Broadcasting vide No. G.S.R 949, Part II Section 3 sub-section (i) dated 8-9-1984, amended vide No. G.S.R. 572, published in Gazette of India Part-II Section 3 Sub-section (i) dated 25-6-1987, Notification No. G.S.R. 229 published in Gazette of India, Part II Section 3 Sub-section (i) dated 1-4-1991 and Notification No. G.S.R. 697, published in Gazette of India Part-II Section 3 Sub-section (i) dated 21-12-1991.

जल संसाधन मंत्रालय

नई विल्ली 7 जून, 1994

- मा. का. नि. → 305 राष्ट्रपति, सविद्यान के प्रमुक्छेद 309 के परस्तुक द्वारा प्रदस्त एक्सियों का प्रयोग करने हुए, और भ्रन्देशी मनकृप संगठन (वर्ग 1 और वर्ग 2 सेथा) भर्ती नियम, 1963 की, उने मानों के सिवाय प्रधिशांत करते हुए, अन्हें ऐसे प्रधिश्रमण से पहले किया गया है या करने का कीप किया गया है केन्द्रीय भूमि जल बोड़े में कार्यपालक इंजीनियर के पत्र के पिए निम्नाशिनित सियम बनाते हैं प्रयोत :--
 - ा गंक्षिप्त नाम ओर प्रारम्भ (।) इन नियमों का सिक्षिय नाम केस्टीय भूमि जल बोर्ड (कार्गपालक इंजीनियर) भर्ती नियम. 1994 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की नारीख की अयुक्त होने।
- 2 पद-संख्या व किरण और वेतनमान उन्ने पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपावड अनुमुखी के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिद्धिद हैं।
- 3. भनी की प&ित, आयु मोमा, प्रहेताएं भादि :-- उक्त पद पर भनीं की परुति, श्रायु सीमा, श्रष्ट्रंताएं और उससे संदक्षित अन्य आनें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्ताम)4 में बिनिद्धिट है।
 - 4 निरहंता यह व्यक्ति:--
 - (क) जिसने ेमें व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
 - (ख) जिसने अपने पति या परनो के अधिवत होते हुए किसी व्यक्ति से विसाह किया है

अक्त पत्र पर निवितन का पाल नाही होगा:-

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाना है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के झन्य पक्षकार की लाए स्वीय विक्रि के अधीन भन्भेय है और ऐसा करने के लिए प्रन्य प्राधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेसी।

- 5. भिरियल करने की शक्ति :--जहां केन्द्रीम सरकार की यह राम है कि ऐसा करना झावण्यक या समीक्षीन हैं, वहां उसके लिए वो कारण है उन नेखबर करकें , तथा संघ ोोक सेवा पायोग से परामर्थ करके. इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ष यर प्रवर्ध के व्यक्तियों की बाबन झादेश द्वारा गिथिल कर सकेगा।
- 6 व्यायशि इन नियमों को काई बात, ऐसे धारआप, धाय सामा में शृट और ध्रन्य रियायनों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केशीय सरकार हार। इस संबंध में समय-समय पर निकाल गये प्रावेशों के प्रनुसार प्रनुसूचित जातियों, धनुसूखित जन जातियों भूतपूर्व सैनिकों आर धन्य भिणेष प्रवर्ध के व्यक्तियों के सिए उपर्धक्ष करमा ध्रिपेक्षित है।

भ न् म् की							
थर का नाम	पर्ने की संख्या	वर्शी कारण	वैतनमान	चयन पद ग्रथमा ग्रचयन पद		ष्ट्रे भर्तों किए जाने बानि गए ब्राय्-सीमा	र्षा सेवा में जोडे गए वर्षों का फायदा सिक्तिल सेवा (पेंग्रन) नियम 1972 के नियम 30 के श्रधोन भनुक्षेय हैं या नही
1	2	3	4	5		6	
कार्यपालक इंजोनियर	17* (सम्ह) (1994) *कार्यभार के श्राधार पर परिवर्तन है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समृह "क" राजपश्चित (भ्रननुसम्बदीय)	3000-10 125-45	00-3500 च्यन 00 .	- (वि	0थर्ष केंन्टीय सरकार झरा जारी कए गए अनुदेशों या फ्राव्यों लुसार सरकारी सेवकों के लि	